[Shri K. Mayathevar]

I therefore request the Central Government, especially the Ministry of Electricity and Irrigation to instruct the Tamil Nadu Government to provide (i) the drinking water and (ii) the supply of electricty and Irrigation to instruct the Tamil Nadu Government to provide (i) the drinking water and (ii) the supply of electricity to all farmers and to all my Dindigul constituency people.

(xii) URGENT NEED TO INCREASE THE WAGES OF AGRICULTURAL LABOURERS TO IMPROVE THEIR ECONOMIC CONDITIONS.

श्री हरीश कुमार गंगावार (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन देश के कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

देश के विभिन्न भागों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी आज के महंगाई से त्रस्त समय में सब से कम है । देश के उन्नत व समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के मजदूर को अधिकृत सूचना के अनुसार केवल 4 रुपये से साढ़े-पांच रुपये तथा उड़ीसा में 5 रुपये प्रतिदिन कृषि मजदूर को मजदूरी दी जाती है । कुछ अन्य राज्यों में मजदूरों की स्थिति इस से बेहतर नहीं है और असंगठित होने के कारण खेतिहर मजदूरों का शोषण जारी है ।

कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के मामले में हरियाणा, पंजाब व केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ सब से आगे हैं, जहां न्यूनतम मजदूरी 14 रुपये प्रतिदिन है ।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ ही समय पूर्व केन्द्रीय क्षेत्रों के कृषि मजदूरों के लिए 6 रुपये 75 पैसे से 10 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी घोषित की थी । यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित ये दरें राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं हैं तथापि कृषि के मामलों में उन राज्यों को जिन में मजदूरी दर 7 रुपये प्रतिदिन से कम है, सलाह दी गई थी कि वे न्यनतम मजदूरी छः रुपये पछत्तर पैसे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करें ।

अगस्त, 81 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम वेतन गरीबी की रेखा के नीचे न जाये, न्यूनतम वेतन का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बन्ध जोड़ने का तरीका निकाला जाय लेकिन महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा अन्य कुछ राज्यों में खेतिहर, मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिल रही है उस से इस निर्णय से कोई लाभ नहीं पहुंचा, ऐसा लगता है ।

भारत के 5 करोड़ 40 लाख खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधार कर उन्हें कम से कम भरपेट रोटी देने के लिए उन के असंगठित होने के कारण शोषण से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को तुरन्त करना चाहिए ।

(xiii) ARTIFICIAL SHORTAGE OF SODA ASH.

SHRI RATANSINH RAJDA: Cyclic artificial shortage of soda ash has become a regular feature, creating untold hardships for small scale industries and consumers like washermen. Innumerable small-scale industries are destablished on account of spiralling prices of each ash.

Soda ash is produced by four monopoly producers, who have absolute control over production, distribution and pricing, in the absence of any statutory control. The usual plea of cost escalation at the root cause of price increase is not convincing at all. From the minute study of balance-sheets of producers, it is clear that the cost of one tonne soda ash should not be more than Rs. 700 to Rs. 800/-. Unfortunately, black market has already reappeared. Market prices have soared from Rs. 2,000 to Rs. 2,800 per tonne. Conditions have to be created so that producers reduce their prices consistent with the cost of production. The following